भारत में चुनाव सुधार

किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव द्वारा ही विधायिका के सदस्यों का चयन होता है। जो देश की नीतियों के निर्धारण तथा कानूनों के प्रणयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारा खेल अधिक मत प्राप्त करने पर निर्भर रहता है और हमारे प्रत्याशीगण अधिक मत प्राप्त करने के लिए 'येन केन प्रकारेण' वाला सिद्धांत अपनाते हैं विभिन्न निर्वाचन संबंधी वादों का निपटारा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कई बारक्रांतिकारी संशोधन भी किए गए हैं।

संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (क) से 171 (झ) में चुनाव संबंधी अपराधों हेतु दण्ड की व्यवस्था की गयी है। इन धाराओं में फर्जी मतदान, चुनाव में अपने प्रभाव का दुरुपयोग, चुनाव की निष्पक्षता पर प्रभाव डालने वाले कार्यों, चुनाव व्यय में हेराफेरी निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने जैसे कार्यों को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

में चुनाव संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। 1996 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर इसे और प्रभावी बनाने की कोशिश की गयी है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर चुनावी विकृतियों को दूर करने के लिए समितियों का गठन कर चुनाव सुधार पर संस्तुतियां प्राप्त कर उनपर कार्यवाही भी की जाती रही है। भारत में चुनाव सुधार हेतु किए गए प्रयासों का क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है। —

(अ) <u>तारकुंडे समिति (1974)</u>: चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी संस्था द्वारा महाराष्ट्र के न्यायमूर्ति वी. एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार थीं —

(i) मताधिकार की आयु 18 वर्ष की जाय। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है। पूर्व में यह 21 वर्ष थी।

(ii) राजनीतिक दल आय का स्रोत स्पष्ट करें तथा उनके आय-व्यय का निरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाय।

(iii) प्रत्याशी द्वारा चुनाव के दौरान किए गए व्ययों का हिसाब रखा जाय।

(iv) राजनीतिक दलों को उद्योगों के स्वामियों से

Scanned with CamScanner

चंदा लेने से रोका जाय।

(ब) टी. एन. शेषन की सिफारिशें → अप्रैल 1992 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने चुनाव सुधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की थी—

(i) लोकसभा तथा विधानसभा के लिए जमानत की राशि क्रमशः 5000 रुपये तथा 2500 रुपये की जाए।

(ii) लोकसभा प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक तथा 10 समर्थक एवं विधानसभा प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक का प्रावधान किया जाय।

(iii) एक से अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ने की छूट ना दी जाय।

(iv) चुनाव प्रचार 14 दिनों से अधिक ना हो।

(v) चुनाव संबंधी कुछ अपराधों को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाय।

(vi) मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाय।

(vii) चुनाव संबंधी अपराध में लिप्त पाये जाने पर प्रत्याशी को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाय।

(स) दिनेश गोस्वामी समिति → जनवरी 1990 में केन्द्रीय कानून एवं न्यायमंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति ने मई 1990 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिए थे।

(i) मतदान बूथ पर कब्जा करके मतदान की स्थिति

में पुनर्मतदान कराया जाय।

(ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण चक्रानुक्रम (Rotation) पद्धति के आधार पर किया जायेगा।

(iii) मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाए।

(iv) प्रत्येक मत्त मतदाता को फोटोयुक्त परिचय-पत्र दिया जाय तथा उसी के आधार पर मतदान करने दिया जाय।

जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 →
1996 में संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम द्वारा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इस अधिनियम में दिनेश गोस्वामी समिति तथा भारत के तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन की सिफारिशों को स्थान दिया गया है।

इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं।

(i) कोई भी व्यक्ति दो से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता है।

(ii) मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जायेगा।

(iii) चुनाव से संबंधित सभा में बाधा डालने के लिए किया गया कोई कार्य संज्ञेय अपराध माना जायेगा।

(iv) राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति किसी चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकता।

Scanned with CamScanner

(v) निर्वाचित कार्यों में नियुक्त कर्मचारी अपने कार्यों की उपेक्षा के दोषी पाये जाने पर दो वर्ष के कारावास अथवा 500 रूपये के अर्थदंड के भागीदार होंगे।

निर्वाचन एवं अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 → वरिष्ठ सांसद प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित संसद की स्थायी समिति की अनुशंसा के आधार पर संसद द्वारा निर्वाचन एवं अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम 2003 पारित किया गया है। इस संशोधन द्वारा चुनाव सुधार की दिशा में निम्न प्रयास किए गए हैं →

(i) सैन्य कर्मियों को प्राक्सी मतदान की सुविधा दी गयी है।

(ii) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) प्रत्याशी के चुनाव प्रचार हेतु किसी राजनीतिक दल के नेता द्वारा की गयी यात्रा के व्यय को प्रत्याशी के चुनाव व्यय में शामिल नहीं किया जायेगा।

चुनाव सुधार पर न्यायपालिका की पहल →

(1) वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में कहा था कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, आय के स्रोत, अर्जित सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का

Scanned with CamScanner

विवरण चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा संसद द्वारा इन निर्देशों को लागू करने के नाम पर जो अधिनियम लाया गया वह न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिए गए मामलों की ही जानकारी देने का प्रावधान करता था साथ ही विजयी प्रत्याशी पर ही शैक्षिक योग्यता का विवरण देने की अनिवार्यता आरोपित करता था। सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खण्डपीठ ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश लागू हो गए। इन निर्देशों के अंतर्गत अब प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय शपथ-पत्र पर निम्न सूचनाएँ देनी पड़ती हैं :—

(i) प्रत्याशी के विरुद्ध न्यायालय में चलाए गए मुकदमे, उसमें दिया गया दण्ड, दोषमुक्ति का विवरण।
(ii) प्रत्याशी, उसकी पत्नी तथा आश्रितों के नाम चल-अचल सम्पत्ति तथा बैंकों में जमा धन आदि का विवरण।
(iii) प्रत्याशी पर बकाया देनदारियों का विवरण।
(iv) प्रत्याशी की शैक्षिक योग्यता का विवरण।

(2) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्देश दिया है कि प्रत्याशियों को अपने-अपने आवास, बिजली, पानी टेलीफोन, परिवहन तथा अन्य बकायों की सूचना आयोग को देना चाहिए

(3) मई 2002 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक निर्णय को उलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय

Scanned with CamScanner

ने कहा कि यदि किसी विजयी प्रत्याशी को बाद में अयोग्य करार दिया जाता है तो दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को विजयी घोषित करने के स्थान पर पुनः चुनाव कराया जाना अधिक न्यायसंगत है।

(4) न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खण्डपीठ द्वारा जनवरी 2005 में 4:1 के बहुमत से दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि आपराधिक मामलों में दो वर्ष या अधिक अवधि की सजा सुनाए गए अभियुक्तों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने वाला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का प्रावधान वर्तमान सांसदों एवं विधायकों पर भी लागू होता है। ऐसे सांसदों / विधायकों की अयोग्यता संबंधी सुरक्षा मात्र वर्तमान कार्यकाल तक ही सीमित है कार्यकाल की समाप्ति के बाद वह चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य माने जायेंगे भले ही उन्होंने मामले में अपील कर रखी हो।

निष्पक्ष चुनाव को लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। निश्चय ही लोकतंत्र का स्वस्थ भविष्य निष्पक्ष, पारदर्शी तथा दबावविहीन मतदान व्यवस्था पर निर्भर करता है। चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रयास किया जाता रहा है।

प्राथमिक रूप से हमारे देश में चुनाव की

निष्पक्षता को प्रभावित करने वाले मात्र दो तत्व हैं—

(i) आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो मतदाता पर दबाव बनाते हैं।

(ii) वे लोग जो धन के बल पर मतदाता को भ्रमित एवं प्रलोभित करते हैं।

प्रथम तत्व पर लगाम लगाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 में दिसंबर 2002 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध है, दोषसिद्धि की तिथि से अथवा सजा पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा।

चुनावों में धन की भूमिका पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सरकार को चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित करने की शक्ति दी गयी है। इसी परिप्रेक्ष्य में नवम्बर 2003 में एक अधिसूचना जारी कर लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। विधानसभा चुनाव हेतु पूर्व निर्धारित सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

Scanned with CamScanner

निष्कर्षतः देश में चुनाव संबंधी विकृतियों पर रोक लगाने के लिए पिछले वर्षों में ठोस प्रयास किए गए हैं किन्तु यह तभी सार्थक होगा जब मतदाता जागरूक हो और अपने प्रतिनिधि को चुनते समय किसी प्रकार के दबाव और प्रलोभन में न आए।

डॉ० मनोज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
जी० डी० कालेज बेगूसराय

Scanned with CamScanner